<u>मद **4(1) (ख) - (xiii)**</u>

इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतें, परमिट अथवा प्राधिकार प्राप्तकर्ताओं के विवरण

13 इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतें, परमिट अथवा प्राधिकार प्राप्तकर्ताओं के विवरण।

13.1 आरईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (33/11 केवी सब स्टेशनों की व्यवस्था), ग्राम विद्युतीकरण की बुनियादी सुविधा के सृजन तथा विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को समग्र परियोजना की 90 प्रतिशत राशि पूंजी सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

13.2 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)के अविद्युतीकृत आवासों के विद्युतीकरण के लिए, राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता आंतरिक वायरिंग और सेवा कनेक्शन प्रभारों की एक बार की अनुमानित लागत के रूप में दी जाती है। यह आर्थिक सहायता 11 वीं योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 2200/- रूपए प्रति आवास की दर से दी जाती है।